रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 306] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 10, 1975/कार्तिक 19, 1897
No. 306] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER, 10 1975/KARTIKA 19, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

ORDER

New Delhi, the 7th November 1975

G.S.R. 553(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4A) of section 227 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), read with the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs No. G.S.R. 443(E) dated the 18th October, 1972, and in supersession of all previous orders on the subject in relation to the companies to which this order applies, and after consultation with the Institute of Chartered Accountant of India, [constituted under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949)] in regard to the class of companies to which this order applies and other ancillary matters, the Company Law Board hereby makes the following Order, namely :—

1. **Short title, application and commencement.**—(1) This order may be called the Manufacturing and other Companies (Auditor's Report) Order, 1975.

(2) It shall apply to every company which is engaged in one or more of the following activities, namely :—

(a) manufacturing, mining or processing;

(b) supplying and rendering services;

(c) training; and

(d) the business of financing, investment, chit fund, *nidhi* or mutual benefit societies.

(3) It shall come into force on the 1st of January, 1976.

2. **Definitions.**—In this order :—

(a) "chit fund", "nidhi" or "mutual benefit" company means a company engaged in the business of managing, conducting or supervising as a foreman or agent of any transaction or arrangement by which it enters into an agreement with a number of subscribers that every one of them shall subscribe a certain sum of instalments for a definite period and that each subscriber in his turn, as determined by lot or by auction or by tender or in such other manner as may be provided for in the agreement, shall be entitled to a prize amount, and includes companies whose principal business is accepting fixed deposits from its members and lending money to them;

(b) "finance company" means a company engaged in the business of financing, whether by making loans or advances or otherwise, of any industry, commerce or agriculture and includes any company engaged in the business of hire-purchase and of financing of housing;

(c) "investment company" means a company engaged in the business of acquisition and holding, or dealing in, shares, stocks, bonds, debentures, debenture stocks or securities issued by the Central or any State Government or by any local authority or in other marketable securities of a like nature;

(d) "manufacturing company" means a company engaged in any manufacturing process as defined in the Factories Act, 1948 (63 of 1948);

(e) "mining company" means a company owning a mine, and includes a company which carries on the business of a mine either as a lessee or occupier thereof;

(f) "processing company" means a company engaged in the business of processing materials with a view to its use, sale, delivery or disposal;

(g) "service company" means a company engaged in the business of supplying, providing, maintaining and operating any service, facilities, conveniences, bureaux and the like for the benefit of others;

(h) "trading company" means a company engaged in the business of buying and selling goods.

3 **Auditors' report to contain matters specified in paragraphs 4 and 5.**—Every report made by the auditor under section 227 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) on the accounts of every company examined by him to which this Order applies for every financial year ending on any day on or after the commencement of this order shall contain the matters specified in paragraphs 4 and 5 of this Order.

4. **The matters to be included in the Auditors' Report.**—The Auditors' report on the accounts of the companies to which this Order applies shall include a statement on the following matters, namely :—

(A) in the case of a manufacturing, mining or processing company:—

(i) whether the company is maintaining proper records to show full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets; whether these fixed assets have been physically verified by the management, and if any serious discrepancies were noticed on such verification, whether the same have been properly dealt with in the books of accounts;

(ii) in case any of the fixed assets have been revalued during the year the basis of revaluation should be indicated;

(iii) has physical verification been conducted by the management at reasonable periods in respect of finished goods, stores, spare parts and raw materials, and if any significant discrepancies have been noticed on such verification as compared to book records, whether the same have been properly dealt with in the books of account; whether the auditor is satisfied that the valuation of these stocks is fair and proper in accordance with the normally accepted accounting principles and is on the same basis as in the earlier years; if there is any deviation in the basis of valuation, the effect of such deviation, if material, is to be reported;

(iv) if the company has taken any loans, secured or unsecured, from companies, firms or other parties listed in the register maintained under sections 301 and 370(1-C) of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), whether the rate of interest and the terms and conditions of such loans are prima facie prejudicial to the interests of the company;

(v) whether the parties to whom the loans or advances in the nature of loans have been given by the company are repaying the principal amounts as stipulated and are also regular in payment of the interest and if not, whether reasonable steps have been taken by the company for recovery of the principal and interest;

(vi) is there an adequate internal control procedure commensurate with the size of the company and the nature of its business for the purchase of stores, raw materials including components, plant and machinery, equipment and other assets;

(vii) where any stores, raw materials or components exceeding Rs. 10,000/- in value for each type thereof are purchased during the year from the subsidiaries, firms or companies or other parties in which the directors are interested, whether the prices paid for such items are reasonable as compared to the prices of similar items supplied by other parties;

(viii) whether any unserviceable or damaged stores and raw materials are determined and whether provision for the loss, if any, has been made in the accounts;

(ix) in case the company has accepted deposits from the public, whether the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of section 58A of the Companies Act, 1956, and the rules framed thereunder, wherever applicable, have been complied with;

(x) is the company maintaining reasonable records for the sale and disposal of realisable by-products and scraps where applicable and significant;

(xi) in relation to companies the paid-up capital of which at the commencement of the financial year concerned exceeds Rs. 25 lacs, whether the company has an internal audit system commensurate with its size and nature of its business;

(xii) where maintenance of cost records has been prescribed by the Central Government under section 209(1)(d) of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), whether such accounts and records have been maintained;

(xiii) is the company regular in depositing provident fund dues with the appropriate authority and if not, the extent of arrears of provident fund dues, shall be indicated by the auditor:

(B) In the case of a service company—

(i) all the matters specified in clause (A) to the extent to which they are applicable;

(ii) whether the company has a reasonable system of recording receipts, issues and consumption of materials and stores, commensurate with its size and nature of its business and whether such system provides for a reasonable allocation of the materials and man-hours consumed to the relative jobs;

(iii) whether there is a reasonable system of authorisation at proper levels with necessary control on the issue of stores and allocation of stores and labour to jobs and whether there is any system of internal control commensurate with the size of the company and the nature of its business.

(C) In the case of a trading company—

(i) all the matters specified in clause (A) to the extent to which they are applicable;

(ii) have damaged goods been determined and if the value of such goods is significant, has provision been made for the loss;

(D) In the case of a finance, investment, chit fund, *nidhi* or mutual benefit company—

(i) all the matters specified in clause (A) to the extent to which they are applicable;

(ii) whether adequate documents and records are maintained in a case where the company has granted loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other similar securities;

(iii) whether the provisions of any special statute applicable to chit fund, *nidhi* or mutual benefit society have been duly complied with;

(iv) if the company is dealing or trading in shares, securities, debentures and other investments whether proper records have been maintained of the transactions and contracts and whether timely entries have been made therein; also whether the shares, securities, debentures and other investments have been held by the company in its own name except to the extent of the exemption, if any, granted under section 49 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

5. **Reason to be stated for unfavourable or qualified answers.**—Where, in the Auditor's Report the answer to any of the questions referred to in paragraph 4 of this order is unfavourable or qualified, the Auditor's Report shall also state the reasons for such unfavourable or qualified answer, as the case may be. Where the auditor is unable to express any opinion in answer to a particular question, his report shall indicate such fact together with the reasons why it is not possible for him to give an answer to such question.

[No.52/4/68-CL.II]

P. B. MENON,
Member, Company Law Board.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1975

सा० का० नि० 553 (अ).—भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 443 (ई), तारीख 18 अक्तूबर, 1972 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 227 की उपधारा (4क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उन कम्पनियों के संबंध में, जिनको यह आदेश लागू है, इस विषय पर सभी पूर्वतन आदेशों को अधिक्रांत करते हुए, तथा कम्पनियों के उस वर्ग के, जिनको यह आदेश लागू है, और अन्य आनुषंगिक विषयों के बारे में भारतीय चार्टर्ड एकाउण्टेंट संस्थान [चार्टर्ड एकाउण्टेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन गठित] से परामर्श करने के पश्चात् कम्पनी विधि बोर्ड निम्नलिखित आदेश करता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ.**—(1) इस आदेश का नाम विनिर्माता और अन्य कम्पनी (संपरीक्षक को रिपोर्ट) आदेश, 1975 है ।

(2) यह प्रत्येक ऐसी कम्पनी को लागू होगा, जो निम्नलिखित क्रियाकलाप में से एक या अधिक में संलग्न है, अर्थात् :—

(क) विनिर्माण, खनन या प्रसंस्करण ;

(ख) सेवाएं करना और उनका प्रदाय करना ;

(ग) व्यापार ; और

(घ) वित्तयन विनिधान, चिट फंड, निधि या पारस्परिक प्रसुविधा सोसाइटियों का कारबार ।

(3) यह एक जनवरी, 1976 को प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएं** .—इस आदेश में,—

(क) "चिट फंड", 'निधि" या "पारस्परिक प्रसुविधा कम्पनी" से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है जो किसी ऐसे संव्यवहार या ठहराव के फोरमैन या अभिकर्त्ता के रूप में प्रबंध, संचालन या पर्यवेक्षण के कारबार में संलग्न है, जिसके द्वारा वह अनेक अभिदाताओं

के साथ इस प्रकार करार करती है कि उनमें से प्रत्येक किसी निश्चित अवधि के लिए किस्तों की किसी निश्चित राशि का अभिदाय करेगा तथा प्रत्येक अभिदाता, अपनी बारी पर, जो लाट डाल कर या नीलाम द्वारा या निविदा द्वारा या किसी अन्य ऐसी रीति में, जो कि करार में उपबंधित की जाए, अवधारित की गई हो, प्राइज रकम का हकदार होगा, तथा उसके अन्तर्गत वे कम्पनियां आती हैं जिनका प्रधान कारबार अपने सदस्यों से नियत निक्षेप स्वीकार करना और उन्हें धन उधार देना है ;

(ख) "वित्त कम्पनी" से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है, जो किसी उद्योग, वाणिज्य या कृषि के, उधार या अभिदाय देकर या अन्यथा, वित्तीयन के कारबार में संलग्न है और उसके अन्तर्गत कोई भी ऐसी कम्पनी आती है जो अवक्रय के या आवासन के वित्तीयन के कारबार में संलग्न है ;

(ग) "विनिधान कम्पनी" से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है जो केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए शेयरों, स्टाकों, बंधपत्रों, डिबेंचरों, डिबेंचर स्टाकों या प्रतिभूतियों अथवा ऐसी ही प्रकृति की अन्य विक्रेय प्रतिभूतियों के अर्जन और धारण के कारबार या उनके लेन देन में संलग्न है ;

(घ) "विनिर्माता कम्पनी" से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है जो कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) में यथापरिभाषित किसी विनिर्माण प्रक्रिया में संलग्न है ;

(ङ) "खनन कम्पनी" से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है जो किसी खान की स्थायी है, और उसके अन्तर्गत ऐसी कम्पनी आती है जो उसकी पट्टेदार या अधिभोगी के रूप में किसी खान का कारबार करती है ;

(च) "प्रसंस्कर्ता कम्पनी" से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है, जो सामग्री के प्रयोग, विक्रय, परिवहन या व्ययन की दृष्टि से उसके प्रसंस्करण के कारबार में संलग्न है ;

(छ) "सेवा कम्पनी" से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है जो दूसरों के फायदे के लिए किन्हीं सेवाओं, सुविधाओं, प्रसुविधाओं ब्यूरों आदि का प्रदाय करने, उपबंध करने उन्हें बनाए रखने और उनके चलाने के कारबार में संलग्न है ;

(ज) "व्यापार कम्पनी" से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है जो माल के खरीदने और बेचने के कारबार में संलग्न है ।

3. **संपरीक्षक की रिपोर्ट में पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट विषय होंगे.**—संपरीक्षक द्वारा परीक्षित प्रत्येक ऐसी कम्पनी के लेखाओं के बारे में, जिसको यह आदेश लागू है, इस आदेश के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् किसी दिन को समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 27 के अधीन उसके द्वारा दी गई प्रत्येक रिपोर्ट में वे विषय अन्तर्विष्ट होंगे जो इस आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **संपरीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले विषय.**—उन कम्पनियों के, जिनको यह आदेश लागू है, लेखाओं के बारे में संपरीक्षकों की रिपोर्ट में निम्नलिखित विषयों के बारे में कथन सम्मिलित होगा, अर्थात् :—

(क) विनिर्माता, खनन और प्रसंस्करता कम्पनी की दशा में,—

(i) क्या कम्पनी पूर्ण विशिष्टियां दर्शित करने के लिए समुचित अभिलेख रख रही है जिनके अन्तर्गत परिमाणात्मक ब्यौरे और नियत आस्तियों की स्थिति भी है, क्या उन नियत आस्तियों का प्रबंधक वर्ग द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन कर लिया गया है और यदि ऐसे सत्यापन पर कोई गम्भीर फर्क पाए गए थे तो क्या उनकी बाबत लेखा-बहियों में समुचित कार्यवाही कर ली गई है

(ii) यदि नियत आस्तियों में से किन्हीं का वर्ष के दौरान पुनःमूल्यांकन कर दिया गया है तो पुनःमूल्यांकन का आधार उपदर्शित किया जाना चाहिए ;

(iii) क्या प्रबंधक वर्ग ने तैयार माल, भंडारा, फालतू पुर्जों और कच्ची सामग्री के बारे में युक्तियुक्त अवधियों पर प्रत्यक्ष सत्यापन कर लिया है, तथा यदि पुस्तक अभिलेखों से तुलना की जाने पर ऐसे सत्यापन पर, कोई महत्वपूर्ण फर्क पाए गए हैं, तो क्या उनके बारे में लेखा-बहियों में समुचित कार्यवाही कर ली गई है, क्या संपरीक्षक का समाधान हो गया है कि इन स्टाकों का मूल्यांकन प्रसामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार उचित और उपयुक्त है और उसी आधार पर है, जिस पर पूर्वतन वर्षों में किया गया था ; यदि मूल्यांकन के आधार में कोई विचलन हुआ है तो ऐसे विचलन के प्रभाव के बारे में यदि तात्विक हो, रिपोर्ट की जानी है ;

(iv) यदि कम्पनी ने, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 301 और 370 (1—ग) के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीकृत कम्पनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों से कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत उधार लिए हैं, तो क्या ऐसे ऋणों के ब्याज की दर और निबंधन तथा शर्तें प्रथम दृष्टया कम्पनी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं ;

(v) या वे पक्षकार, जिन्हें कम्पनी द्वारा उधार या उधारों की प्रकृति के अभिदाय दिए गए हैं, मूलधन की रकमों का यथा—अनुबंधित प्रतिसंदाय कर रहे हैं और ब्याज का संदाय नियमित रूप से कर रहे हैं, और यदि नहीं, तो क्या कम्पनी ने मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए युक्तियुक्त उपाय किए हैं ;

(vi) क्या भंडारों, कच्ची सामग्री, जिसके अन्तर्गत संघटक भी हैं संयंत्र और मशीनरी उपस्कर तथा अन्य आस्तियों के क्रय के लिए कम्पनी के आकार और उसके कारबार की प्रकृति के अनुरूप यथायोग्य आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया विद्यमान है ;

(vii) जहां भंडारों, कच्ची सामग्री या संघटकों का, जिनमें से प्रत्येक मूल्य में दस हजार रुपए से अधिक हों, उस वर्ष के दौरान क्रय उन सम्बद्ध पक्षों, फर्मों या कम्पनियों या अन्य पक्षकारों से किया जाता है, जिनमें निदेशक हितबद्ध है, वहां क्या ऐसी वस्तुओं के लिए संदाय की गई कीमतें अन्य पक्षकारों द्वारा प्रदाय की गई वैसी वस्तुओं की कीमतों की तुलना में युक्तियुक्त है :

(viii) क्या किन्हीं अनुपयोगी या क्षतिग्रस्त भंडारों और कच्ची सामग्री का अवधारण किया गया है और क्या हानि के लिए, यदि कोई हो, कोई उपबंध लेखाओं में किया गया है;

(ix) यदि कम्पनी ने जनता से निक्षेप स्वीकार किए हैं तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों का तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58-क के उपबंधों और तद्धीन विरचित नियमों का, जहां कहीं भी वे लागू हों, अनुपालन किया गया है

(x) क्या कम्पनी प्रापनीय उपोत्पादों और स्क्रेपों के विक्रय और व्ययन के लिए, जहां लागू और महत्वपूर्ण हों, युक्तियुक्त अभिलेख रख रही है ;

(xi) उन कम्पनियों के संबंध में, जिनकी संबंधित वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में समादत्त पूंजी 25 लाख रुपए से अधिक है, क्या कम्पनी की उसके आकार और उसके कारबार की प्रकृति के अनुरूप कोई आन्तरिक संपरीक्षा पद्धति है ;

(xii) जहां केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 (1) (घ) के अधीन लागत लेखाओं का रखा जाना विहित किया है, वहां क्या ऐसे लेखा और अभिलेखा रखे गए हैं ;

(xiii) क्या कम्पनी भविष्य निधि शोध्यों का समुचित प्राधिकारी के पास निक्षेप नियमित रूप से कर रही है, और यदि नहीं, तो भविष्य निधि शोध्यों की बकाया का परिमाप संपरीक्षक द्वारा उपदर्शित किया जाएगा :

(ख) सेवा कम्पनी की दशा में,—

(i) खंड (क) में विनिर्दिष्ट सभी विषय, उस विस्तार तक जहां तक वे लागू हैं ;

(ii) क्या कम्पनी के पास सामग्रियों और भंडारों की प्राप्तियां, निर्गम और खपत अभिलिखित करने की, उसके आकार और उसके कारबार की प्रकृति के अनुरूप, युक्तियुक्त पद्धति है और क्या ऐसी पद्धति में सुसंगत काम के लिए सामग्री और श्रम घंटों के युक्तियुक्त आबंटन के लिए व्यवस्था की गई है;

(iii) क्या भंडारों के जारी किए जाने और कार्यों के लिए भंडारों और श्रम के आबंटन पर समुचित स्तरों पर आवश्यक नियंत्रण सहित, प्राधिकरण की युक्तियुक्त पद्धति विद्यमान है तथा क्या कम्पनी के आकार और उसके कारबार की प्रकृति के अनुरूप कोई आन्तरिक नियंत्रण पद्धति विद्यमान है ।

(ग) व्यापार-कम्पनी की दशा में,—

(i) खंड (क) में विनिर्दिष्ट सभी विषय, उस विस्तार तक जहां तक वे लागू हैं ;

(ii) क्या क्षतिग्रस्त माल का अवधारण किया गया है और यदि ऐसे माल का मूल्य महत्वपूर्ण है तो क्या हानि के लिए उपबंध किया गया है ;

(घ) वित्त, विनिधान, चिट फंड, निधि और पारस्परिक प्रसुविधा कंपनी की दशा में,—

(i) खंड (क) में विनिर्दिष्ट सभी विषय, उस विस्तार तक, जहां तक वे लागू हैं;

(ii) क्या उस मामले में, जिसमें कम्पनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य वैसी ही प्रतिभूतियों की गिरवी के रूप में प्रतिभूति के आधार पर उधार और अभिदाय दिए हैं समुचित दस्तावेजों और अभिलेख रखे गए हैं ;

(iii) क्या चिट फंड, निधि या पारस्परिक प्रसुविधा सोसाइटी को लागू किसी विशेष कानून के उपबंधों का सम्यक अनुपालन किया गया है ;

(iv) यदि कम्पनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य विनिधानों का लेन देन या व्यापार करती है तो क्या संव्यवहारों और संविदाओं के समुचित अभिलेख रखे गए है और क्या उनमें समय पर प्रविष्टियां की गई है, और क्या कम्पनी ने शेयर प्रतिभूतियां, डिबेंचर और अन्य विनिधान अपने ही नाम में, उस छूट के, यदि कोई हो, विस्तार तक के सिवाय धारण किए है, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 49 के अधीन दी गई है

5. **अनुकूल या विशेषित उत्तरों के लिये कारणों का कथन किया जाएगा.**—जहां संपरीक्षक की रिपोर्ट में, इस आदेश के पैरा 4 में निर्दिष्ट प्रश्नों में से किसी का उत्तर अननुकूल या विशेषित है, वहां संपरीक्षक की रिपोर्ट में ऐसे यथास्थिति अननुकूल या विशेषित उत्तर के लिए कारणों का कथन भी किया जाएगा । जहां संपरीक्षक किसी विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में कोई राय व्यक्त करने में असमर्थ है, वहां उसकी रिपोर्ट में यह तथ्य इस बात के कारणों सहित उपदर्शित किया जाएगा कि उसके लिए ऐसे प्रश्न का उत्तर देना क्यों सम्भव नहीं है ।

[सं० 52/4/68—सी एल 2]

पी० बी० मेनन,
सदस्य, कम्पनी विधि बोर्ड ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975

रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (1)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 307] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 10, 1975/कार्तिक 19, 1897
No. 307] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 10, 1975/KARTIKA 19, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November 1975

THE INDIAN RAILWAYS (DISPOSAL OF GOODS NOT REMOVED FROM NOTIFIED RAILWAY STATIONS) RULES, 1975

G.S.R. 554(E).—In exercise of the powers conferred by Section 56E of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), as amended by the Indian Railways (Amendment) Ordinance, 1975 (10 of 1975), the Central Government hereby makes the following rules for the purpose of giving effect to the provisions of sections 56B, 56C and 56D of the said Act, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Railways (Disposal of Goods not removed from Notified Railway Stations) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Indian Railways Act, 1890 as amended by the Indian Railways (Amendment) Ordinance, 1975.

(b) 'Form' means a form set out in the Schedule.

(c) 'Schedule' means the Schedule to these rules.

(d) 'Section' means a section of the Act.